सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी गृह मंत्रालय, भारत सरकार नार्थ ब्लाक नई दिल्ली-110001.

सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ के अन्तर्गत सूचना विषय: प्रदान करने बाबत ।

महोदय,

कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निम्न तथ्यों की जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें :--

- 1. यह कि सन् २००८ में माननीय सांसद श्री अनवर हुसैन के आवास १६ए, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली पर एक उल्फा आतंकवादी को पकड़वाया गया था जिसके सम्बन्ध में पी.एस. स्पैशल सैल द्वारा एफ. आई.आर. संख्या ४४/०८ धारा ३८४/३८७ भा.द.संहिता १७/१८/२० अनलॉफुल एक्ट के तहत दर्ज की गयी थी । उक्त मामले में मैं मुख्य गवाह हूँ । क्या माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐसा कोई निर्देश है कि गंभीर मामलों में मुख्य गवाह को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने कां कोई प्रावधान है ।
- यदि हां तो मुझे सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं गयी, कारण बताते हुए उस 2. सम्बन्धित अधिकारी का नाम व पद भी बतारों जिन्होंने सुरक्षा मुहैया न कराये जाने सम्बन्धी निर्णय लिया ।
- यह कि यदि मेरे या मेरे परिवार के साथ इस बीच कोई दुर्घटना घटित हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की होती?

सूचना शुल्क की राशि अदा की जा रही है तथा प्रार्थी छायाप्रतियों का शुल्क देने हेतु वचनबद्ध है ।

भवदीय,

(मो ० शकील सैफी)

निवास : म.नं.१००. (सामने विज पैलेस) निहाल विहार, नांगलोई, दिल्ली-110041.

By Speed Post RTI MATTER (To be issued in Hindi)

No. VI.23014/14/2014-VS Government of India Ministry of Home Affairs (PP Division)

> NDCC-II Building, 3rd Floor, Jai Singh Road, New Delhi-110001, dated: 30th January, 2014

To

Md. Shakeel Saifi, House No.100, (In front of Viz Palace) Nihal Vihar, Nangloi, Delhi-110041.

Subject:- Application under the RTI Act-2005-reg.

Sir.

Please refer to your RTI applications dated Nil received in this Unit on transfer on 16.01.2014.

- 2. In this regard, it is stated that security to an individual is provided on the basis of threat assessment carried out by the security agencies. As regards provision of security to witness in Criminal case, the subject matter may be related to Delhi Police, as the responsibility for providing security to an individual rests primarily with the State Government concerned in whose jurisdiction such individual is ordinarily resident. Accordingly a copy of your application is being transferred to Delhi Police for providing information directly to you.
- 3. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Lokesh Jha, Joint Secretary (PP & VS) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3rd Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001.

Yours faithfully,

(Girisle Kumar) Director (VS) & CP10 Tele:23438120

Copy to:

- 1. ACP & CPIO, Delhi Police, Delhi Police Headquarter, MSO Building, I.P. Estate, New Delhi along with a copy of RTI application dated Nil of Md. Shakeel Saifi.
- Shri S. Samanta, Under Secretary, RTI Cell, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. OM No.43020/01/2014-RTI dated 10.01.2014.

(5)